

-246-

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1314—1349

Dated 10-7-2004

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2004

सा. का. नि. 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निवारक संक्रिया निदेशालय (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1978 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के संभार तंत्र निदेशालय में समूह "ग" और "घ" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के संभार तंत्र निदेशालय में समूह "ग" और "घ" पद भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन.—

(क) ज्येष्ठ कर सहायक : (i) ऐसे सभी व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ के समय नियमित आधार पर सहायक की श्रेणी में नियुक्त किए गए थे, उन्हें इन नियमों के अधीन ज्येष्ठ कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा को अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता का विनिश्चय करने के लिए विचार में लिया जाएगा।

(ii) वर्तमान कर्मचारियों से, कम्प्यूटर अनुप्रयोजन और सुसंगत प्रक्रियाओं में समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित या उपयुक्त विभागीय परीक्षा को दो वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसके न हो सकने पर वे अगली वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) कर सहायक : (i) ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं, और इन नियमों के प्रारंभ के समय उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं, उन्हें इन नियमों के अधीन कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा इन नियमों के प्रारंभ के पहले अपनी श्रेणी में की गई सेवा को प्रोन्नति आदि के प्रयोजन के लिए कर सहायक के पद पर की गई नियमित सेवा के रूप में विचार में लिया जाएगा।

(ii) कोई व्यक्ति जो नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं और जो इन नियमों के प्रारंभ के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता सूची के भीतर आते हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित विभागीय कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की तारीख से कर सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया समझा जाएगा।

(iii) उच्च श्रेणी लिपिक को समूह में ज्येष्ठ रखा जाएगा, अवर श्रेणी लिपिक को उच्च श्रेणी लिपिक से नीचे रखा जाएगा।

6. निरहता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. ज्येष्ठ कर सहायक	02 * (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	5000-150- .8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा			
11	12				
शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : ऐसे कर सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और कम्प्यूटर प्रचालन और			

12

सुसंगत प्रक्रियाओं में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने विहित अर्हक सेवा अवधि पूरी नहीं की है परन्तु विहित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

- | | |
|--|----------|
| (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —अध्यक्ष |
| (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iv) सहायक आयुक्त, आयकर | —सदस्य |

टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iv) में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी, भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5	6
2. कर सहायक	11* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	4000-100- 6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
20—27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभाग में कार्यरत सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विधा में स्नातक की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता; (ii) आंकड़ा प्रविष्टि में 8000 कुंजी अवनयन प्रति घंटा की गति रखता हो।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर

7	
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

11	12
90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों और प्रधान हवलदारों में से जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा हो और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :— (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता, और (ख) आंकड़ा प्रविष्टि की गति 5000 कुंजी अवनयन प्रति घंटा हो और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ क्रमशः हिन्दी या अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
(i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—अध्यक्ष
(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—सदस्य
(iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—सदस्य
(iv) सहायक आयुक्त, आयकर	—सदस्य
टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iv) में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी, भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	

1	2	3	4	5	6
3. अवर श्रेणी लिपिक	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	(i) 50 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर ऐसे हवलदारों और अभिलेखपालों में से भरी जाएंगी जो मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता रखते हों और बिना किसी आयु-सीमा के श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों। (ii) 50 प्रतिशत रिक्तियां हवलदार, अभिलेखपाल, सिपाही, गेस्टेटरन आपरेटर में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या कोई समतुल्य अर्हता है तथा अपनी-अपनी श्रेणियों में 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों और विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उसे पोषक प्रवर्गों में से अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण परीक्षा के साथ। टिप्पण : (क) परीक्षा की योग्यता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनु.जा./अनु.जन.जा. के लिए 50 वर्ष); (ख) खंड (iii) के अधीन किसी विशिष्ट वर्ष की न भरी गई रिक्तियों को अग्रणीत नहीं किया जाएगा। (ग) यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो, ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर, पश्चात्पूर्वी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
(i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—अध्यक्ष
(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—सदस्य
(iii) उपस्थित या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—सदस्य
(iv) सहायक आयुक्त, आयकर	—सदस्य
टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iv) में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी, भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	

1	2	3	4	5	6
4. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभाग में कार्यरत सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत	या		

2086 Pin/04-2

7	8	9	10
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। सिवाय उन अभ्यर्थियों के लिए जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से एक विषय के साथ और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरे विषय के साथ स्नातक की डिग्री और हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के पाठ्यक्रम का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव।		

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से होगा जो :— (क) (i) सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) 4000—8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा करके पद धारण किए हुए हों ; और (iii) 3050—4590 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा करके पद धारण किए हुए हों ; या (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक या अन्य अर्हताएं रखते हों। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, किन्तु यह महानिदेशक, राजस्व आसूचना द्वारा पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है।

13			14		
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5	6
5. आशुलिपिक श्रेणी-II	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5000-150 8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : भर्ती अभिकरण द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और (ii) हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष, प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।		
11	12				
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (सीधी भर्ती केवल तभी प्रत्यावर्तित की जाएगी जब पोषक प्रवर्ग पर्याप्त संख्या में न हो या जब पद को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरे जाने की संभावना न हो।)	ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-III की प्रोन्नति से जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर; केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा :— (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठ बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, महानिदेशक, राजस्व आसूचना द्वारा पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है।				
13	14				
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—		लागू नहीं होता			
(i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—अध्यक्ष				
(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—सदस्य				
(iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—सदस्य				
(iv) सहायक आयुक्त, आयकर	—सदस्य				
टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।					

8

1	2	3	4	5	6
6. आशुलिपिक श्रेणी-III	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	4000-100 6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और (ii) हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता

13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
7. डाइवर श्रेणी-I	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	4500-125- 7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : संभार तंत्र निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और उसके काडर एककों के ऐसे ड्राइवर श्रेणी-II में से जिन्होंने छह वर्ष नियमित सेवा की है और नीचे विहित समुचित स्तर की व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो; (i) अंग्रेजी अंक और संख्या पढ़ने में योग्य होना चाहिए; (ii) यातायात विनियमों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए; (iii) पेट्रोल और डीजल इंजन कार्य प्रणाली का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा चालन त्रुटियों को पता लगाने और लघु खराबियों को सुधारने में योग्य होना चाहिए; (iv) कारबुरेटर, प्लग आदि को साफ करने में समर्थ हो। टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने उनकी उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —अध्यक्ष (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य (iv) सहायक आयुक्त, आयकर —सदस्य टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
8. ड्राइवर श्रेणी-II	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे ड्राइवरों (सामान्य श्रेणी) की प्रोन्नति जिन्होंने संभार तंत्र निदेशालय में 9 वर्ष नियमित सेवा की हो और नीचे विहित समुचित स्तर की व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो; (i) अंग्रेजी अंकों और संख्याओं को पढ़ने में योग्य होना चाहिए;

2086 Fin/02-3

12				
(ii) त्रुटियों का पता लगाने और चालन की लघु मरम्मत को कार्यान्वित करने के योग्य होना चाहिए;				
(iii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए;				
(iv) पहियों को बदलने और टायरों को सही तरह से फुलाने के योग्य होना चाहिए।				
13			14	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—			लागू नहीं होता	
(i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय			—अध्यक्ष	
(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय			—सदस्य	
(iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय			—सदस्य	
(iv) सहायक आयुक्त, आयकर			—सदस्य	
टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।				
1	2	3	4	5
9. ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	23 से 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : मोटर कार के लिए वैध चालन अनुज्ञाति रखता हो और मोटर यांत्रिकी का ज्ञान तथा मोटर कार चालन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से VIII स्तर उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
आमेसन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेसन : संभार तंत्र निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के स्तंभ 8 की अर्हता रखने वाले नियमित और समूह "घ" कर्मचारियों में से, स्टाफ कार चालन के लिए आवश्यक क्षमता स्तर को ध्यान में रखने के निर्देश के साथ पद पर उपयुक्तता के लिए चालन की परीक्षा के परिणाम पर या अन्य मंत्रालय या विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर का पद धारण करने वाले व्यक्तियों का आमेसन। टिप्पण : अभ्यर्थियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट, आयु सीमा तक पुष्टि करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —अध्यक्ष (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —सदस्य (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —सदस्य (iv) सहायक आयुक्त, आयकर —सदस्य टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
10. ज्येष्ठ गेस्टेटर ऑपरेटर	1* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिबीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे गेस्टेटर ऑपरेटर (ओ जी) और दफ्तरी में से प्रोन्नति जिन्होंने 4 वर्ष नियमित सेवा की हो और गेस्टेटर मशीन के प्रचालन और रखरखाव में प्रवीण हो।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —अध्यक्ष (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —सदस्य (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —सदस्य (iv) सहायक आयुक्त, आयकर —सदस्य टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
11. अभिलेख पाल	1* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2750-70-3800-75-4400 रु.	अचयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसे गेस्टेटर आपरेटर (ओ जी) और दफ्तरी में से प्रोन्नति जिन्होंने 4 वर्ष नियमित सेवा की हो		
13	14	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य (iv) सहायक आयुक्त, आयकर —सदस्य टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।		
1	2	3	4	5
12. प्रधान हवलदार	3* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12	प्रोन्नति : ऐसे हवलदार की श्रेणी से जिसने श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो		

-258-

13

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष (ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
13. हवलदार	6* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2750-70-3800-75-4400 रु.	अचयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे सिपाही की श्रेणी में से जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।

13	14				
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष (ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	लागू नहीं होता।				
1	2	3	4	5	6
14. सिपाही	9* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

2086Fib/24-4

7	8	9	10
18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। सिवाय उन अभ्यर्थियों के जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मिडिल स्तर टिप्पण —अभ्यर्थियों से शारीरिक मान रखने की अपेक्षा की जाएगी और उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अर्थात् :— पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :— शारीरिक मान (न्यूनतम) : ऊंचाई—157.5 सेमी (गढ़वालियों, असमियों, गोरखाओं और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 5 सेमी शिथिल की जा सकती है।) सीना—81 सेमी (पूर फुलाने पर न्यूनतम 5 सेमी फैलाव के साथ) शारीरिक परीक्षा : पैदल चलना—15 मिनट में 1600 मीटर साइकिल चलाना—30 मिनट में 8 कि.मी. महिला अभ्यर्थियों के लिए :— शारीरिक मान (न्यूनतम) : ऊंचाई—152 सेमी वजन—48 किग्रा. (गढ़वालियों, असमियों, गोरखाओं और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए ऊंचाई 2.5 सेमी और वजन 2 किग्रा. शिथिल किया जा सकता है।) शारीरिक परीक्षा : पैदल चलना—20 मिनट में 1 कि.मी. साइकिल चलाना—25 मिनट में 3 कि.मी. टिप्पण : उपर्युक्त शारीरिक मान/परीक्षा प्रोन्नति द्वारा, यदि कोई हो, भरे जाने वाले पद पर भी लागू होगा।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 15 प्रतिशत आमेलेन द्वारा।	संभार तंत्र निदेशालय में फराश, चौकीदार, सफाईवाला या अन्य समूह "घ" कर्मचारियों के काडर में से आमेलेन (परन्तु यह तब जब कि समूह "घ" कर्मचारियों द्वारा धारित पदों का वेतनमान फराश, चौकीदार, सफाईवाला के वेतनमान से समान हो) निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा, अर्थात् :— (i) उन्होंने कम से कम पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; (ii) वे कम से कम प्रारंभिक साक्षरता रखते हों, और उन्हें इसका सबूत योग्यता परीक्षा के माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी या एक प्रादेशिक भाषा को पढ़कर देना होगा; (iii) वे पैंतालिस वर्ष से नीचे की आयु के हों और स्तंभ 8 में यथा अधिकथित शारीरिक मान रखते हों और शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता।
(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष	
(ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य	
(iii) आयकर अधिकारी —सदस्य	
टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	

1	2	3	4	5	6	7
5. गेस्टेटर आपरेटर (ओ जी)	1* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित	2610-60-2910- 65-3300-70- 4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता				

11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे फराश, सफाईवाला और चौकीदार में से प्रोन्नति जिन्होंने 4 वर्ष नियमित सेवा की हो और गेस्टेटर मशीन के प्रचालन और रखरखाव में प्रवीण हो।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष	
(ii)* दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य	
(iii) आयकर अधिकारी —सदस्य	
टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	

1	2	3	4	5	6	7
16. दफ्तरी	5* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित	2610-60-2910- 65-3300-70- 4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

16

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12	
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे फराश, सफाईवाला और चौकीदार में से प्रोन्नति जिन्होंने 4 वर्ष नियमित सेवा की हो।	

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता

- (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष
- (ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
- (iii) आयुक्त अधिकारी —सदस्य

टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5	6	7
17. सफाईवाला	3* (2004) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "घ" (अराजपत्रित) अनुसूचित	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)
						टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। सिवाय उन अभ्यर्थियों के जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	2 वर्ष
11	12	
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	

17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. फराश	3* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित	2550-55-2660- 60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने
के लिए निर्णायक तारीख भारत में
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
सिवाय उन अभ्यर्थियों के जो अंदमान
और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने
वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा
अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख
वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा
गया है।

(8)	(9)	(10)
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	2 वर्ष
(11)	(12)	
सत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
(13)	(14)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	

[फा. सं. ए.-12018/28/2003-प्रशा. III (बी)]

एस. के. ठाकुर, अवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2004

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of "The Directorate of Preventive Operations (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1978, except with respects to things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and group 'D' posts in the Directorate of Logistics in the Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These rules may be called the Directorate of Logistics, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these Rules.

3. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, Age Limit, other Qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Initial Constitution.**—

(A) **Senior Tax Assistant :** (i) All the persons appointed on regular basis at the time of commencement of these rules to the Grade of Assistant shall be deemed to have been appointed as Senior Tax Assistants under these rules. The service rendered by them before commencement of these shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to next higher grade.

(ii) The present employees would be required to pass the required or suitable departmental examination, as specified by the Competent Authority, from time to time, in Computer application and relevant procedures within two years failing which they would not be eligible for further increments.

(B) **Tax Assistant** (i) The persons appointed on the regular basis and holding the post of Upper Division Clerks on the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed as Tax Assistants under these rules and the service rendered by such persons in the respective posts before commencement of these rules shall be taken into account as regular service rendered on the post of Tax Assistant for the purpose of promotion etc.

(ii) Any person, who holds a post of lower Division Clerk on regular basis and falls within the seniority list as determined by the appointing authority at the commencement of these rules shall, on passing the Departmental Computer Proficiency examination conducted by the appointing authority, be deemed to have been promoted with effect from date of passing such examination on the post of Tax Assistant.

(iii) The Upper Division Clerks shall be placed en-block senior, Lower Division Clerks shall be placed below Upper Division Clerks".

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pensions) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Tax Assistant	2* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made
(11)	(12)
100% by promotion	Promotion : Tax Assistant with 3 years of regular service in the grade and have passed the departmental examination as specified by competent Authority from time to time in computer application and relevant procedures. Note : If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in the Grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Commissioner, Directorate of Logistics	— Chariman
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member

(13)

(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member

Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
2. Tax Assistant	11* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
20—27 years (relaxable upto 35 years for Government Servants working in the Department in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Minimum educational qualification of Graduation in any discipline from any recognised University; (ii) Should possess a Data Entry Speed of 8000 key depression per hour.	Not applicable	2 Years

11	12
90% by Direct Recruitment 10% by Promotion	Promotion : From amongst the Lower Division Clerks and Head Havalidars who have rendered 7 years of service in the Grade on regular basis and possess the following qualifications, namely :— (a) Matriculation or equivalent qualification from a recognized institution, and (b) Data Entry Speed of 5000 key depression per hour and passed the departmental examination with knowledge of typing in Hindi or English at a speed of 25 wpm and 30 wpm respectively.

2086 fm/24.6

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
3. Lower Division Clerk	2* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 3050-75-3590-80-4590	Non-Selection	Not applicable
7			8	9	10
Not applicable			Not applicable	Not applicable	Not applicable
11				12	
100% by promotion		(i) 50% of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst Havaldars and Record Keeper on the basis of seniority-cum-fitness who possess Matriculation or an equivalent qualification and have rendered 5 years regular service in the grade, without any age-limit. (ii) 50% of vacancies shall be filled up by promotion from amongst Havaldars, Record Keeper, Sepoys, Gestetner Operators (OG) and who possess Matriculation or an equivalent qualification and have rendered 5 years of service in the respective grade and feeder cadres thereto on the basis of a Departmental qualifying examination with typing test with minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting. Note : (a) The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years for the SC/ST); (b) The unfilled vacancies pertaining to a particular year under clause (ii) shall not be carried over; (c) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.			

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chairman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
4. Junior Hindi Translator	1* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
28 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	(i) Master's degree of a recognized University in Hindi or English, with English/Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level. OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English an compulsory/ elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/ elective subject at degree level. OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory/ elective subject or as medium, of examination at degree level. OR Bachelor's degree of a recognized University, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as medium of	Not applicable	Two years for Direct Recruits.

8					
examination and the other as a compulsory or elective subject, plus a recognized Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and <i>vice versa</i> or two year's experience of translation work from Hindi to English and <i>vice versa</i> in Central or State Government Offices, including Government of India Undertakings.					
11		12			
By transfer on deputation/transfer or by direct recruitment.		Transfer on deputation/transfer : From amongst Central Government Officers holding :— (a)(i) analogous posts; or (ii) posts in the pay scale of Rs. 4000-6000 or equivalent with 3 years regular service in the grade; and (iii) posts in the pay scale of Rs. 3050-4590 or equivalent with 5 years regular service in the grade; and (b) possessing educational and other qualifications laid down in Column 8 for direct recruits. Note : Period of Deputation ordinarily not exceed 3 years but extendable to 5 years by Director General of Revenue Intelligence.			
13		14			
Not applicable		Not applicable.			
1	2	3	4	5	6
5. Stenographer Grade-II	2* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Non Selection	Not applicable
7		8	9		10
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).		(i) Matriculation or equivalent, and (ii) A speed of 100 words per minute in English or Hindi shorthand and 40 words per minute in English typewriting and 30 words per minute in Hindi typewriting.	Not applicable		Two years for direct recruits, Nil for promotees.
Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Recruiting Agency.					

11	12
By promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment. (Direct recruitment may resorted to only when there is not enough feeder grade strength or when there is no possibility of filling up of the posts by transfer on deputation).	Promotion from amongst Stenographer Grade-III who have put in 5 years regular service in the grade, failing which Transfer on Deputation from officers of the Central Government :— (a) Holding analogous post on regular basis; or (b) with 5 years regular service in the scale of Rs. 4000-100-6000 and possessing a speed of 100 words per minute in Stenography (English or Hindi) and 40 words per minute in English typewriting or 30 words per minute in Hindi typewriting. The period of deputation including the period in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. However, the deputation period is extendable upto 5 years by Director General of Revenue Intelligence.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
6. Stenographer Grade-III	2* (2004) * Subject to variation dependant on workload.	Central Civil Service, Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18—25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	(i) Matriculation or equivalent, and (ii) A speed of 80 words per minute in English or Hindi shorthand and 30 words per minute in English typewriting and 25 words per minute in Hindi typewriting.	Not applicable	2 years

2086 P20/04 T

11			12		
Direct recruitment through Staff Selection Commission.			Not applicable		
Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 8.					
13			14		
Not applicable			Not applicable		
1	2	3	4	5	6
7. Driver Grade-I	1* (2004) *(Subject to the variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000	Non-selection	Not applicable
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable
11			12		
100% by promotion			Promotion : From the Grade II Drivers in the Directorate of Logistics, Central Excise and Customs with six years regular service who have passed a trade test of appropriate standard as prescribed below : (i) must be able to read English Numerals and figures; (ii) must have a thorough knowledge of Traffic Regulations; (iii) must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects; (iv) must be able to clear carburettor plug, etc. Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher cadre along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.		

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	

Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
8. Driver Grade- II	1* (2004) *Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 4000-100- 6000	Non-selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
100% by promotion	Promotion from the Drivers (Ordinary Grade) in the Directorate of Logistics with 9 years regular service who have passed a trade test of appropriate standard specified below : (i) must be able to read English Numerals and figures; (ii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs; (iii) must have good knowledge of Traffic Regulations; (iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres;

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	

Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
9/ Driver (Ordinary Grade)	2* (2004) * Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 3050-75- 3950-80-4590	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
23—30 years (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants and upto 40 years for departmental candidates, in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for deter- mining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date pres- cribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).	Essential : Possession of a valid driving licence for motor cars. Knowledge of motor mechanics and experience in driving a motor car for at least five years. Desirable : Passed VIII standard from recognized Board or Institution.	Not applicable	2 years

11	12
By absorption, failing which by direct recruitment.	Absorption : On the results of the test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in driving of staff cars from amongst regular and Group "D" employees in the Directorate of Logistics, Central Excise and Customs possessing qualifications in column 8 or absorption of persons holding the post of Staff Car Driver in other Ministries or Department. Note : The candidates will be required to confirm to such age limits as may be specified by the Central Board of Excise and Customs from time to time.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics	— Chairman
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Assistant Commissioner of Income Tax	— Member
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
10. Senior Gestetner Operator	1* (2004) * Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
100% by promotion	Promotion : From amongst Gestetner Operator (OG) and Daftry with 4 years regular service who are proficient in operating and maintaining Gestetner Machine.				

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics	— Chairman
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax	— Member
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	

2086 F107/64-8

1	2	3	4	5	6
11. Record Keeper	1* (2004) *Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2750-70-3800-75-4400	Non-selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
100% by promotion	Promotion : From amongst Gestetner Operator (OG) and Daftry with 4 years regular service.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner Directorate of Logistics	— Chariman
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax	— Member

Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
12. Head Havaladar	3* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
100% by promotion	Promotion : From the grade of Havaladar with 3 years regular service in the grade.

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Chairman	
(ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Income Tax Officer — Member	

Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
13. Havaladar	6* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2750-70- 3800-75-4400	Non-Selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
100% by promotion	Promotion : From the grade of Sepoy with 3 years regular service in the grade.				

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Chairman	
(ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Income Tax Officer — Member	

Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
14. Sepoy	9* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 2610-60- 2910-65-3300- 70-4000.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18—27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked.	Middle Standard Note : Candidates will be required to possess the Physical standards and pass physical test as specified below, namely :— For Male Candidates Physical standard (minimum): Height—157.5 cms. (relaxable by 5 cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes). Chest—81 cms. (fully expanded with minimum expansion of 5 cms.) Physical Test : Walking—1600 metres in 15 minutes Cycling—8 kms. in 30 minutes. For Female Candidates Physical standard (minimum): Height—152 cms. Weight—48 kgs. (Height relaxable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. for Garhwalis, Assamese, Gorkhas and the member of the Scheduled Tribes). Physical Test : Walking—1 km. in 20 minutes Cycling—3 kms. in 25 minutes. Note : The above physical standards/ tests shall also be applicable for filling up the post by promotion, if any.	Not applicable	2 years
11	12		
85% by direct recruitment. 15% by absorption.	Absorption from the cadre of Farash, Chowkidar, Safaiwala and other Group 'D' employees, (provided the pay scale of the post held by such Group 'D' employees in the same as that of Farashes, Chowkidars, Safaiwalas) in the Directorate of Logistics subject to the following conditions, namely :— (i) they shall have put in at least five years regular service; (ii) they should possess at least elementary literacy and given proof through a test of ability to read either Hindi or English or a regional language; and (iii) they are below Forty Five years of age and possess such physical standards and pass such physical test as laid in column 8.		
13	14		
Group 'D' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Chairman (ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member (iii) Income Tax Officer — Member	Not applicable.		

13

Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1.	2	3	4	5	6
15. Gestetner Operator (OG)	1* (2004) * Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-Selection	Not applicable
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable
11			12		
100% by promotion		Promotion from amongst Farash, Safaiwala and Chowkidar with 4 years regular service who are proficient in operating and maintaining Gestetner Machine.			
13			14		
Group 'D' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		

- (i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Chairman
- (ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member
- (iii) Income Tax Officer — Member

Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
16. Daftry	5* (2004) * Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-Selection	Not applicable
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
11				12	
100% by promotion					Promotion : From amongst Farash, Safaiwala and Chowkidar with 4 years regular service.

100% by promotion

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Chairman
(ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Income Tax Officer	— Member
Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
17. Safaiwala	3* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Primary School Standard pass	Not applicable	2 years
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked.			

11	12
100% by Direct Recruitment	Not applicable
13	14
Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6
18. Chowkidar	4* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).	Primary School Standard pass AND Training in 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guard and Civil Defence.	Not applicable	2 years

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked.

11	12
100% by direct recruitment	Not applicable

13	14
Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6
19. Farash	3* (2004) * Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Primary School Standard pass	Not applicable	2 years

Government servants
in accordance with

7

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

11	12
100% by direct recruitment	Not applicable
13	14
Not applicable	Not applicable

[F.No. A-12018/28/2003-Ad. III(B)]
S. K. THAKUR, Under Secy.